

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,  
बिहार, पटना।

चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन, विश्वेश्वरैया परिसर, बेली रोड, पटना-800015  
Website : [www.sbtebihar.gov.in](http://www.sbtebihar.gov.in) ; Email : [sbtebihar@bihar.gov.in](mailto:sbtebihar@bihar.gov.in)

पत्रांक :- आर.(एस.बी.टी.ई.)-01/2011 पार्ट-3-

/पटना, दिनांक :-

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

Principal  
GEMS Polytechnic College, Aurangabad (199)

विषय :- GEMS Polytechnic College, Aurangabad (199) को सत्र 2022-2023 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद से औपबंधिक संबद्धन के विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के संबद्धन समिति द्वारा दिनांक-29/08/2022 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार GEMS Polytechnic College, Aurangabad (199) को अभातशिप के पत्रांक- F.No.-Northern/10968614796/2022/EOA दिनांक- 03.07.2022 द्वारा प्राप्त Extension of Approval (EOA) एवं शैक्षणिक अनुश्रवण समिति का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक-05.07.2022 के आधार पर अंकित शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु सत्र 2022-2023 के लिए राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना से निम्नलिखित शर्तों के साथ औपबंधिक संबद्धन विस्तारित की जाती है।

- (1) संस्थान को विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय एवं अभातशिप के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- (2) संस्थान को पाठ्यक्रम, परीक्षा एवं ऐकेडमिक कैलेण्डर का अनुपालन राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के निदेशानुसार सुनिश्चित करना होगा।
- (3) विभागीय अधिसूचना संख्या-2143, दिनांक-12/10/07 द्वारा अधिसूचित संबद्धता Norms & Guidelines में उल्लेखित सभी बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना संस्थान का दायित्व होगा।
  - i प्रत्येक निजी संस्थानों के वेबसाईट पर संस्थानों में कार्यरत शिक्षक/अनुदेशक/लिपिक/प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान एवं तकनीकी) आदि का नाम, फोटो, पदनाम के साथ upload किया जाए।
  - ii सभी निजी संस्थानों के प्राचार्य को यह निदेश दिया जाता है कि संस्थान के निरीक्षण के क्रम में सभी कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी संस्थान में उपस्थित रहेंगे।
  - iii निरीक्षण के क्रम में प्रयोगशाला/कर्मशाला में उपलब्ध उपकरणों की सूची निरीक्षण समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाए एवं एक प्रति S.B.T.E. को भी उपलब्ध कराया जाए।
  - iv संस्थान के प्राचार्य, प्रयोगशाला/कर्मशाला/वर्गाध्ययन-कक्ष पूरी तरह से well maintained and update रखेंगे।

- v S.B.T.E. के वेबसाईट पर उपलब्ध प्रयोगशाला/कर्मशाला हेतु उपकरणों की सूची के अनुसार सभी निजी संस्थान अपने प्रयोगशाला/कर्मशाला में उपकरण/मशीन आदि अधिष्ठापित करेंगे।
- vi संस्थान के छात्र/छात्राओं के परीक्षाफल के गुणवत्ता के उन्नयन हेतु आवश्यक समीक्षा एवं कार्रवाई संस्थान अपने स्तर से करेंगे।

(4) Deficiency No  
(if any)

(5) सत्र 2022-2023 के लिए ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली द्वारा निर्गत Extension of Approval (EOA) में अगर त्रुटियाँ अंकित हो तो उसका पूर्ण निराकरण निर्धारित समय सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,


ह०/-

सचिव,

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- आर.(एस.बी.टी.ई.)-01/2011 पार्ट-3-3279 /पटना, दिनांक :- 30.08.2022

- प्रतिलिपि :-
1. अध्यक्ष, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के आप्त सचिव।
  2. सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव।
  3. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।
  4. सदस्य सचिव, अभातशिप, सातवाँ तल्ला, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली, 110 001.
  5. क्षेत्रीय पदाधिकारी, राजकीय पोलिटेकनिक परिसर, निकटस्थ प्रावैधिक शिक्षा निदेशालय, विकास नगर, कानपुर-208024 एवं
  6. राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

  
30/8/22

सचिव,

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,  
बिहार, पटना।